संख्या- 17/2017/1689/बयालिस-2017-17(निर्माण)/2006

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 26 अगस्त, 2017**

विषय :- जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 722/नि0 फैजाबाद स्टे0 पत्रा0/2016-17, दिनांक 21 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 333/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 22.03.2016 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 13233.77 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 855/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 06.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 करोड़ में से 5 माह के व्यय हेतु रू0 9.40 करोड़ (रू0 नौ करोड़ चालीस लाख मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 10.60 करोड़ (रू0 दस करोड़ साठ लाख मात्र) निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 10.60 करोड़ (रू0 दस करोड़ साठ लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।

(3)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(4)- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2017-18 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि का आहरण स्वीकृत कार्यों के लिए व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- शासनादेश संख्या- 2485/बयालिस-2006-17(निर्माण)/2006, दिनांक 17.07.2006, शासनादेश संख्या- 371/बयालिस-2011-17(निर्माण)/2006, दिनांक 10.02.2011, शासनादेश संख्या-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

333/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 22.03.2016 एवं शासनादेश संख्या-1793/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 14.10.2016 तथा शासनादेश संख्या-856/बयालिस-2016-17(निर्माण)/2006, दिनांक 06.06.2016 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-26-जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी0-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1689/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2)- माहलेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, स्पोर्टस स्टेडियम, फैजाबाद।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।